संख्या-114/2018/ 710/35-3-2018-1(20)/2016

प्रेषक,

जसजीत कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 मई,2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत डोमा खास से धोबनिया घाट तक जाने वाले मार्ग पर 3 गुना 6 मी0 स्पान की आर. सी. सी. पुलिया निर्माण की स्वीकृत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महराजगंज में शासनादेश सं0 893/ 35-3-2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा रू. 45.85 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये रू. 27.51लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। शासनादेश सं0 21/2015/953/35-3-2015-1(22)/2014, दिनांक 15 जुलाई,2015 द्वारा "डोमा खास से धोबनिया घाट तक जाने वाले मार्ग पर 3 गुना 6 मी0 स्पान की आर. सी. सी. पुलिया निर्माण कार्य" हेतु रू. 126.60 लाख (रू.एक करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) मात्र की पुनरीक्षित लागत पर अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये शासनादेश सं0 81/ 2016/1905/35-3-2016-1(20)/ 2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि को सम्मिलित करते हुये रू. 50.00 लाख अर्थात कुल रू. 77.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में निर्गत तथा उपभोग की गई रू. 77.51 लाख की कुल धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय, धनराशि रू.**49.09** लाख (रू. उन्चास लाख नौ हजार)मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	**व्यय की गई** धनराशि	**लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि जो अवमुक्त की जा रही**
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग			
निचलौल	1	डोमा खास से धोबनिया घाट तक जाने वाले मार्ग पर 3 गुना 6 मी0 स्पान की आर. सी. सी. पुलिया एवं एप्रोच रोड निर्माण कार्य	126.60	**77.51**	**49.09**
		कुल योग	126.60	**77.51**	**49.09**

1- संदर्भित शासनादेश सं0 81/2016/1905/35-3-2016-1(20)/2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की शर्तें यथावत लागू रहेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- जिलाधिकारी द्वारा तृतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सडक निर्माण कार्य हेतु अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- स्वीकृत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। अत: स्वीकृत कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/डराइंग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़को के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है ।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
विशेष सचिव।

संख्या-114/2018/710(1)/ 35-3-2018-1(20)/2016 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जसजीत कौर)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in